दिनांक 23.08.2024 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

# प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियो की सुविधा के लिए ऋण मेला

**भिलाईनगर।** नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान–मोर आस घटक अंतर्गत हितग्राहियो के लिए 28 अगस्त को ऋण मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे हितग्राही किरायेदार के रूप में निवासरत, बेघर परिवारो को आवास प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। हितग्राहियो द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान राशि जमा करके लॉटरी में भाग लेकर मकान अपने नाम आबंटित कराया गया है। हितग्राहियो द्वारा आवास आबंटन की शेष 90 प्रतिशत राशि जमा करने पश्चात मकान का अधिपत्य पत्र उन्हे सौंपा जाता है। बहुत से हितग्राही शेष 90 प्रतिशत राशि जमा नही कर पा रहे है। ऐसे हितग्राहियो के लिए ऋण मेला लगाया जा रहा है। जिसके माध्यम से आबंटित आवास का शेष राशि जमा करके मकान प्राप्त कर सकेगें। आवास ऋण मेला नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय परिसर मे प्रातः 11:00 बजे से से 3:00 बजे तक लगाया जायेगा। बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर आवास लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। हितग्राही उसका लाभ ले सकते है। बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज– आबंटन पत्र की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैक पास बुक की छायाप्रति, शपथ पत्र, 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, वेतन प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट साईज फोटो, किरायानामा, जमा की गई राशि के रसीद की छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर आना है। आवास हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से लोन प्राप्त कर आबंटित आवास प्राप्त कर सकते है। प्रमुख बैंक जिनके माध्यम से लोन प्रदान किया जायेगा। आई.आई.एफ.एल. होम लोन सुपेला भिलाई, पिरामल केपिटल एंड हाउसिंग लिमिटेड सुपेला भिलाई, इजी होम फायनेंस रायपुर, स्वतत्रं माईक्रो फायनेंस कार्पोरेशन रायपुर, आवास फायनेंस दुर्ग, आवास फाईनेस पावर हाउस भिलाई आदि बैंक संयुक्त रूप से अपने ब्याज दर के विवरणी के साथ उपस्थित रहेगे। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने सभी आबंटितो से अपील की है कि अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से लोन प्राप्त करके शेष राशि जमा कर मोर मकान–मोर आस योजना अंतर्गत आबंटित मकान प्राप्त कर सकते है।